न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2012 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री गेबा पिता खेमा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती पेमली बेवा खेमा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
3. श्री गोपाल पिता कालू जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
4. श्री तुलसीराम पिता कालू जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
5. श्रीमती पनकी बेवा कालूजी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
6. श्री वाला पिता अम्बावा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
7. श्री दोला पिता अम्बावा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
8. श्री रूपा पिता अम्बाा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री लेहरू पिता अम्बावा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
10. श्रीमती अम्बावी बेवा अम्बावा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर
11. श्री गेरा पिता कालू जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर (राज0)
12. श्री छगुड़ा पिता कालू जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर (राज0)
13. श्री मोहन पिता गणेश जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भगवानाल पिता सवा भील निवासी ग्राम बस्सी हाल मार्फत श्री शांतिलाल जैन (प्रोपर्टी ब्रोकर) निवासी उदपुर
2. श्री ललित पिता धन्ना भील निवासी ग्राम बस्सी हाल मार्फत श्री शांतिलाल जैन (प्रोपर्टी ब्रोकर) निवासी उदयपुर
3. श्री मोहना पिता होमा भील निवासी ग्राम बस्सी हाल मार्फत श्री शांतिलाल जैन (प्रोपर्टी ब्रोकर) निवासी उदयपुर
4. **श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्व. मनोहराल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर के बजाय** :–
   - 4/1– श्री राजकुमार पिता स्व. मनोहरलाल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर
   - 4/2– श्री सरस पिता स्व. मनोहरलाल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर

4/3– श्री अरविन्द पिता स्व. मनोहरलाल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर

4/4– श्री पंकज पिता स्व. मनोहरलाल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर

4/5– श्री प्रतिभा पिता स्व. मनोहरलाल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर

4/6– श्री अनुपमा पिता स्व. मनोहरलाल जी सरूपरिया निवासी पारस सिनेमा के सामने सेक्टर–11 उदयपुर

5. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर
6. तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 29–02–2012 प्रकरण संख्या 390/2011 राजस्व वाद

———

उपस्थित :–1– श्री संदीप श्रीमाली अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री दशरथ सिंह राजपुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

——————/——————

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 53 व 188 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सवीनाखेड़ा की आराजी संख्या 1379 रकबा .535 हैक्टर में से आराजी नंबर 2196/1379 रकबा .205 हैक्टर भूमि समझौते से नगर विकास न्याय के नाम दर्ज हुई तथा शेष आराजी नंबर 1379मीन रकबा .33 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। जिस पर वादीगण काबिज है। यह भूमि नगर विकास न्यास द्वारा बसाये गये ट्रांसपोर्ट नगर के पास है तथा वादीगण आदिवासियों की भूमि पर भूमि–दलाल उक्त भूमि को कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त भूमि पर जबरन J.C.B. चलाकर भूमि समतल करने की

कार्यवाही की है। अतएव वादी को आराजी नंबर 1379 के 13/16 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए बंटवाड़ा कर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग–8 में ग्राम सीवना खेड़ा की पुरानी आराजी नंबर 531, 545, 546, 547, 548/21 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बारानी रकबा 1 बीघा का मुआवजा चुका दिया, जिसके वर्तमान आराजी नंबर 1379 है। आराजी नंबर 531, 545, 546, 547, 548/21 नई आराजी 1379 पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का कब्जा नहीं है। जमीन अवाप्त की जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग का निमार्ण हो चुका है। आराजी संख्या 2196/1379 रकबा .205 हैक्टर भूमि नगर विकास न्यास के ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि होकर उन्हें समर्पित शुदा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का प्लॉट यू.आई.टी. द्वारा दिया गया, उस पर प्रतिवादी काबिज है तथा उस आवंटित भूमि पर ही वह निर्माण कर रहे है। आराजी नंबर 1379मीन राजमार्ग की भूमि होकर राजमार्ग बन चुका है तथा आराजी संख्या 2196/1379 नगर विकास न्याय को समर्पित होकर ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का आराजी नंबर 1379 पर काई हक अधिकार व कब्जा नहीं है तथा शेष आराजी नंबर 2196/1379 राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि है वादी का वाद खारिज किया जाय।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 2–2–2012 को प्रतिवादी संख्या 4 की और से आदेश–7, नियम–11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण जिस आराजी को लेकर घोषणा, विभाजन व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रहे है, वह भूमि अवाप्त होकर नेशनल हाईवे नंबर–8 बन चुका है तथा प्रार्थीगण ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है। इस हेतु समस्त दस्तावेज पेश किये जा चुके है, वादी को कोई वाद–हेतुक उत्पन्न नहीं होता। अतएव वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाय।

वादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की भूमि अवाप्त नहीं हुई है न ही मुआवजा प्राप्त किया है। भूमि के खातेदार वाद अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–2–2012 से प्रतिवादी संख्या 4 का उक्त आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–3–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 की और से अधिवक्ता श्री प्रफूल करणपुरिया ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी। दौराने बहस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट सेख्या–2 की और से अधिवक्ता श्री दशरथ राजपुरोहित उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित विश्लेषण नहीं किया है। हाल आराजी नंबर 1379 साबिक आराजी नंबर 531, 545, 546, 547 व 548/21 से नहीं बना है, बल्कि साबिक आराजी नंबर 585/21 से बना है, जिसका कोई मुआवजा अपीलान्ट को नहीं मिला। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत निर्णय करने के स्थान पर प्रारम्भिक स्तर पर निराधार वाद खारिज कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाय।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अनुसार आराजी नंबर 1379 रकबा .535 हैक्टर भूमि वादी के कथनानुसार वादी के खाते में दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 2762 दिनांक 2–11–2011 से उक्त आराजी में से आराजी नंबर

2196/1379 रकबा .205 हैक्टर भूम नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हुई है तथा शेष भूमि आराजी नंबर 1379मीन रकबा .33 हैक्टर वादी के कथनानुसार खातेदारान के नाम दर्ज है। साबिक आराजी नंबर 531, 545, 546, 547 तथा 585/21 से आराजी नंबर 1379 बनने का मिलान क्षैत्रफल भी रेकर्ड पर है। नगर विकास न्यास के नाम आराजी नंबर 2196/1379 रकबा .205 हैक्टर भूमि दर्ज है, जिस बाबत् उभयपक्ष सहमत है। प्रश्न सिर्फ यह है कि साबिक आराजी नंबर 1379मीन रकबा .33 हैक्टर भूमि जो कि साबिक आराजी नंबर 1379 में से 2196/1379 रकबा .205 हैक्टर भूमि आराजी नंबर 1379 मीन रकबा .33 हैक्टर भूमि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त की गई है अथवा नहीं। भूमि अवाप्ति अधिकारी के निर्णय दिनांक 29–3–1979 अनुसार साबिक आराजी नंबर 531, 545, 546, 547, 548/21 जो कि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज थी, उसमें से 2½ (ढाई) बीघा भूमि अवाप्त की गई है अर्थात साबिक आराजी नंबर जो कि अवाप्त किये गये है, उन्हीं से ही वर्तमान आराजी नंबर 1374 बनी है तथा आराजी नंबर 1379 मीन भी साबिक आराजी नंबर 1379 का भाग है। जब सम्पूर्ण आराजी नंबर 1379 का निष्पादन नगर विकास न्यास एवं राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्ति में हो चुका है, तो फिर अपीलान्ट वादी को किसी प्रकार का कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने का कोई आधार नहीं है एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश–7, नियम–11 के तहत वादी का वाद विधि विरूद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनंक 29–2–2012 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1– श्री गेबा पिता खेमा जी भील निवासी सवीना खेड़ा जिला उदयपुर (राज0) व अन्य–12	नाम	**1– श्री भगवानलाल पिता सवा भील निवासी बस्सी हाल मार्फत शांतिलाल जी जैन(प्रोपर्टी–ब्रोकर) निवासी सवीना जिला उदयपुर (राज0) अन्य–8, यूआईटी व सरकार**

अपील नं0 **37/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **राजसमन्द.....** मुकाम मुक्र्खे.....**29**.....माह.....**02**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**19**..... माह .....**04**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री संदीप श्रीमाली** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री दशरथसिंह राजपुरोहित** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनंक 29–2–2012 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**19**..... माह ...**04**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।